देशभक्तों के प्रति

श्री प्रभातरञ्जन सरकार

आनन्दमार्ग प्रचारक संघ (केन्द्रीय कार्यालय) द्वारा

सर्वस्वत्व संरक्षित

रजिष्टर्ड ऑफिस :

आनन्दनगर , पोस्ट- बागलता

जिला - पुरुलिया , पश्चिम बंगाल

प्रथम संस्करण : चैत्र पूर्णिमा , 1970

द्वितीय मुद्रांकण : अक्टूबर , 1993

तृतीय मुद्रांकण : वैशाखी पूर्णिमा , 2003

चतुर्थ मुद्रांकण : दिसम्बर , 2004

पंचम मुद्रांकरण : फरवरी , 2014

कैम्प केन्द्रीय कार्यालय :

आनन्दमार्ग आश्रम :

मधुमञ्जुषा , हेहल , रातु रोड , राँची -834 005 (झारखण्ड)

प्रकाशक :

आचार्य सम्पूर्णानन्द अवधूत

आनन्द मार्ग आश्रम , मधुमञ्जुषा , हेहल , रातु रोड , राँची - 834005 (झारखण्ड)

ISBN 81- 7252-055-7

मूल्य : 20 / - रुपये मात्र

चरम निर्देश

“जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करते हैं , मृत्युकाल में परमपुरुष की भावना उनके मन में अवश्य ही जगेगी और निश्चित रूप से उनकी मुक्ति होगी ही । अतः प्रतयेक आनन्दमार्गी को दोनों समय साधना करनी ही होगी - यही है परमपुरुष का निर्देश । यम - नियम के बिना साधना नहीं हो सकती । अतः यम - नियम का पालन करना भी परमपुरुष का ही निर्देश है । इस निर्देश की अवहेलना करने का अर्थ है कोटि - कोटि वर्षों तक पशुजीवन के क्लेश में दग्ध होना । किसी भी मनुष्य को उस क्लेश में दग्ध होना नहीं पड़े तथा परमपुरुष की स्नेहच्छाया में सभी आकार शाश्वती शान्ति लाभ करें , इसलिए सभी मनुष्यों को आनन्दमार्ग के कल्याण - पथ पर लाने की चेष्टा करना भी प्रत्येक आनन्दमार्गी का कर्त्तव्य है । दूसरों को सत्पथ का निर्देशन करना साधना का ही अंग”

श्री श्री आनन्दमूर्ति

रोमन संस्कृत

विभिन्न भाषाओं का ठीक - ठीक उच्चारण करने के लिए तथा द्रुतलेखन के प्रयोजन को समझकर निम्नलिखित पद्धति से रोमन संस्कृत वर्णमाला का प्रवर्त्तन किया गया है

अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ॠ	ऌ	ॡ	ए	ऐ	ओ	औ	अं	अः
অ	আ	ই	ঈ	উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
a	á	i	ii	u	ú	r	rr	lr	lrr	e	ae	o	ao	am	ah

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ka	kha	ga	gha	uṇa	ca	cha	ja	jha	iṇa

ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন
́ta	́tha	́da	́dha	́na	ta	tha	da	dha	na

प फ ब भ म

প ফ ব ভ ম

Pa pha ba bha ma

य र ल व

য র ল ব

ya ra la va

श ष स ह क्ष

শ ষ স হ ক্ষ

sha śa sa ha kśa

अँ ज्ञ ऋषि छाया ज्ञान संस्कृत ततोऽहं

অঁ জ্ঞ ঋষি ছায়া জ্ঞান সংস্কৃত ততোऽহং

aṋ jiṋa rśi cháya jiṋána saḿskrta tato’haḿ

a á b c d d́ e g h i j k l m ḿ n
ń ṇ̭ o p r s ś t t́ u ú v y

समग्र विश्व में बहुत प्रचारित रोमन लिपि के २ ९ अक्षर मात्र से संस्कृत भाषा का ठीक - ठीक उच्चारण किया जाना सम्भव है । इसमें युक्ताक्षर का भी झमेला नहीं है । अरबी , फारसी और अन्यान्य f, q , gh , z , प्रभुति अक्षरों का प्रयोजन रहता है , संस्कृत में नहीं । शब्द के मध्य या शेष में ' ड ' , ' ढ ' यथाक्रम ' ड़ ' और ' ढ़ ' ' रूप में उच्चारित होते हैं । ' य ' (जहाँ ' य ' का उच्चारण ' इ ' , ' अ ' होता है) के समान वे भी कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं हैं । प्रयोजन के अनुसार और असंस्कृत शब्द लिखने के समय ŕa और ŕha व्यवहार किया जा सकता है ।

देशभक्तों के प्रति

नेशन (Nation) शब्द के वास्तविक अर्थ पर , दार्शनिक भिन्न - भिन्न विचार प्रकट करते हैं । कुछ की सम्मति है कि एक विशेष राज्य के निवासी के आधार पर नेशन गठित होता है । राज्य और देश का पर्यायवाची भाव लेने पर भी नेशन सम्बन्धी यह विवाद समाप्त नहीं होता । कुछ लोगों की राय है , कि नेशन का गठन भाषा पर निर्भर करता है , कुछ का अभिमत है कि नेशन की नींव आधारित होती है सामाजिक आचरण , रीति - रिवाज , समान जीवन - पद्धति , समान परम्परा , जातीय समानता , धार्मिक समानता आदि में से किसी एक या एक से अधिक तत्त्वों पर । किन्तु व्यावहारिक अनुभव ऐसे तथ्यों को कोई खास महत्त्व नहीं देता । पाकिस्तानी और बर्मी कभी भारत देश की एक राजनीतिक इकाई और स्थानीय जनसमुदाय में थे । किन्तु वे नेशन - निर्माण करने में विफल रहे । भाषागत समानता नेशन संगठन के लिये

कोई आवश्यक तत्त्व नहीं है । यदि ऐसा होता तो अमेरिका के अंग्रेजीभाषी लोग ब्रिटिश साम्राज्य से अलग होकर फ्रेंच और स्पेनिश भाषी लोगों से मिलकर स्वतंत्र अमेरिकन नेशन संगठित नहीं करते । यदि भाषागत तत्त्व नेशन संगठन का एकमात्र आधार होता , तो स्विस तीन या चार हिस्सों में टूट गये होते । जर्मनभाषी लोग अपने क्षेत्र को स्विटजरलैंड से अलग कर जर्मनी में मिला देना चाहते और जर्मन नेशन के सदस्य के रूप में अपना परिचय देकर गौरव की अनुभूति करते । इसी तरह फ्रेंच और इटालियन भाषी अपने क्षेत्रों को फ्रांस और इटली के साथ संलग्न करना चाहते , किन्तु ऐसा नहीं हुआ । स्विस चार राजकीय भाषाओं- जर्मन , फ्रेंच , इटालियन और रोमन भाषाओं के साथ एक नेशन है । बेल्जियम के फ्रेंचभाषी लोग अपने को बेलजियन्स के रूप में देखना पसन्द करते हैं , फ्रेंच के रूप में नहीं । यह हाल की घटना है कि पश्चिम बंगाल के लोग भारतीय क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय के रूप में अन्तर्भुक्त हो गये और पूर्व बंगाल के लोग पाकिस्तान के साथ अन्तर्भुक्त हो गये । और अपने को

पाकिस्तानी घोषित किया , बंगाली नेशन के रूप में परिचय देना नहीं चाहते । सोहराव वर्दी - शरत् बसु के अनुसार उन्होंने बंगला भाषा के आधार पर स्वतंत्र बंगालिस्तान की मांग नहीं की । स्पेनिश और पोर्तुगीज भाषी लोगों में आचरण और रीति - रिवाज के सम्बन्ध में अभिन्नता है । भाषा के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि व्यवहारतः स्पेनिश और पोर्तुगीज में कोई भेद नहीं है । पूरे पश्चिमी यूरोप में प्राय : सभी देशों के आचार और रीति - रिवाज समान हैं , तो भी वे एक नेशन नहीं है । अपने - अपने राष्ट्रों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये अतीत में उन्होंने आपस में कई रक्तपातपूर्ण लड़ाईयाँ लड़ीं , जबकि वेल्स भाषी लोग ब्रिटिश कहलाने में गर्व का अनुभव करते हैं , यद्यपि उनकी भाषा , आचार और रीति - रिवाज पूर्णतया भिन्न है । पूरे यूरोप की जीवन पद्धति समान है और हम पूरे दक्षिण एशिया (भारत और पाकिस्तान के साथ) में वही चीज देखते हैं किन्तु , कोई भी उस तत्त्व के आधार पर एक सुसंगठित नेशन नहीं बना सके । बंगाल के निवासियों की एक ही परम्परा है , यही बात पंजाब के साथ भी है । परम्परा (

Tradition) को लेकर अरब के यहूदी और मुसलमान भिन्न नहीं हैं । तो भी न तो बंगाली , न पंजाबी , न अरब के यहूदी और मुसलमान सम्मिलित रूप से नेशन की रचना कर सके , बल्कि सम्प्रदाय के नाम पर उनमें अनेक रक्तपात हुए ।

रक्तगत विचार से आइबेरिया के निवासियों में जातीय भेद नहीं है । ठीक यही बात स्केन्डिनेविया निवासियों की है । फिर भी वे अनेक राष्ट्रों में विभाजित हैं । रक्त का बन्धन उन्हें संयुक्त नहीं कर सका , इसलिये जाति या रक्त के आधार पर नेशन के संगठन के प्रयत्न निरन्तर प्रभावशाली नहीं होंगे ।

यदि सम्प्रदाय के आधार पर कोई नेशन संगठित होता तो संसार में छ : या सात से अधिक नेशन नहीं होते । पूरा यूरोप सिर्फ कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट - दो राष्ट्रों में विभक्त होता । किन्तु ऐसा नहीं हुआ । तब प्रश्न उठता है कि नेशन का संगठन किस तरह होगा ?

वस्तुत : देश , भाषा , सम्प्रदाय इत्यादि तत्त्व नेशन निर्माण के लिये एकदम गौण है । असल बात है इसमें से एक या अधिक

तत्त्वों के आधार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार की सृष्टि - चेतना या भावधारा किसी नेशन के संगठन में महत्त्वपूर्ण योगदान करती है ।

नेशन का अस्तित्व असल में एकदम सेन्टिमेन्ट - प्रसूत है । तब हम यह देखें कि भारत में कभी इस प्रकार का सेन्टिमेंट या भावधारा थी ? अर्थात् भारत में कोई वैसी वस्तु थी जिसे एक नेशन कहा जाय । प्राचीन काल में जब आर्य भारत आये , भारतभूमि में कोई सुगठित सामाजिक क्रम नहीं था । भारत की जनसंख्या छोटी या बड़ी औष्ट्रिक , द्रविड़ और मंगोल जनजातियों की थी । आर्य (Caucasian Aryans) पूर्णतया एक भिन्न जातीय , वैदिक जीवन - पद्धति , वैदिक भाषा , वैदिक शासन - नीति , सामाजिक व्यवस्था और युद्ध - कौशल के साथ भारत आये । साधारणत : उन्होंने अवहेलना के स्वर में भारत की स्थानीय जनता को अनार्य कहना प्रारम्भ किया । धीरे - धीरे भारत दो मानसिक संरचनाओं में विभाजित हो गया । एक था विजेता आर्यों का अहंकार पूर्ण सेन्टिमेंट और दूसरा था पराजित अनार्यों के

हीनता - बोध से उत्पन्न भाव । इस तरह भारत में आर्य और अनार्यों के दो नेशन संगठित हुए ।

कई वर्ष बीते । अनार्यों के साथ सम्पर्क के फलस्वरूप आर्यों की वैदिक भाषा में परिवर्तन हुआ । कई क्षेत्रीय भाषाएँ दीख पड़ीं । आर्यों और अनार्यों के बीच रक्त - संबंध नहीं होने देने के सभी प्रयत्न निरर्थक सिद्ध हुए । आर्यों और अनार्यों के बीच जातीय मिश्रण घटित हुआ ।

धीरे - धीरे अनार्य शूद्र या आर्यों के समाज के चतुर्थ वर्ग के रूप में स्वीकृत हुए । इस सामाजिक मिश्रण के परिणामस्वरूप आर्य भावना और अनार्य भावना दोनों ने अपनी - अपनी विशेषताओं को खो दिया । आर्य और अनार्य राष्ट्रों की रचना के कारण स्वरूप आर्य - अनार्य दोनों भावों के दुर्बल होने के साथ ये दो नेशन समाप्त हो गए । दूसरे शब्दों में भारत फिर नेशन हीन हो गया ।

नेशन हीन ता या अराजकता के युग में भारत में बौद्ध धर्म की क्रांति हुई । फिर से बौद्ध धर्म की भावधारा से एक वर्ग संयुक्त हुआ । उन्होंने एक नया नेशन बनाया । प्रारम्भ में जो बौद्धधर्म के

अनुयायी नहीं थे , वे अलग - अलग थे , फलत : कोई नेशन नहीं बना सके थे किन्तु जब अधिकार और शक्ति के अभिमान में शासकीय अधिकारियों की सहायता से , उन्होंने गैरबौद्धवालों के साथ अनुचित आचरण करना शुरू किया , तब एक बौद्ध धर्म विरोधी भाव गैरबौद्धों में पैदा हुआ , ठीक उसी तरह जैसे अतीत में आर्यों के अत्याचार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अनार्यों में आर्य - विरोधी भाव पैदा हुआ था । बौद्ध युग के अन्तिम समय में साधारण तौर पर भारत में दो नेशन थे- एक बौद्ध भावना पर आधारित और दूसरा बौद्ध विरोधी भावना पर । भिक्षुओं का पतन , बौद्ध मठों और संघों की गतिविधियों की विश्रृंखला व्यवस्था , राजशक्ति से सहायता का अभाव और सबसे बढ़कर एक ओर बौद्धों में प्रख्यात दार्शनिक विद्वानों का अभाव और दूसरी तरफ अबौद्धों के पक्ष में शासकीय अधिकारियों की सहायता और एक महान विद्वान और महातार्किक शंकराचार्य के उदय ने , बौद्धों को पराजित ही नहीं किया , बल्कि उनमें बिखराव की स्थिति पैदा की ।

जिसके परिणामस्वरूप बुद्धिष्ट नेशन की मृत्यु हुई । नयी भावधारा जो सनातन या ब्राह्मण्य धर्म के नाम से जानी जाती है , जो शंकराचार्य की सहायता और बौद्ध धर्म विरोधी अन्य राजाओं के संरक्षण से उत्पन्न हुई , वस्तुत : बौद्ध विरोधी भावना पर ही आधारित थी । यही कारण है कि बुद्धिष्ट नेशन की मृत्यु के बाद ब्रह्मण्य नेशन भी अधिक समय तक टिका नहीं रह सका । फिर भारत नेशन हीन हो गया ।

वैदिक " युग के बाद जब आर्य और अनार्य नेशन समाप्त हुए , कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ । यदि कोई विदेशी आक्रमण होता तो आक्रामक बहुत ही आसानी से नेशन हीन भारत को जीत गये होते । बौद्धों की क्रांति देश के भीतर प्रज्वलित हुई , But as illuck would has it . बौद्ध और ब्राह्मण्य नेशन की समाप्ति के बाद दूसरी बार जब भारत नेशन हीन हुआ , कोई आन्तरिक क्रांति नहीं हुई । बाहर से मुसलमानों का आक्रमण हुआ । मुसलमान भारत को तभी जीत सके , जब पौराणिक नेशन बौद्ध धर्म

के साथ समाप्त हुआ । वे पहले नहीं जीत सके । सिन्ध के आक्रमण के बाद उन्हें लम्बी अवधि के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ी । यद्यपि ब्राह्मण्य नेशन दक्षिण भारत में भी टूट चुका था । तो भी नये संगठित छोटे - छोटे नेशन दुर्बल नहीं थे और यही कारण था कि वे भारत के उस भाग में मुसलमानों के आक्रमण को रोक सके ।

मुसलमानों के आने के बाद एक नये मुस्लिम नेशन का जन्म हुआ । उनकी अपनी भाषा (पहले तुर्की बाद में फारसी) , रीति - रिवाज , पोषाक , जातीय विशेषता , जीवन पद्धति और धर्म था , और इन तत्त्वों के आधार पर एक विजयी भावधारा उत्पन्न हुई । उनकी भावधारा थी - शासक जनसमुदाय की भावधारा । इस तथ्य को अस्वीकार करने में कोई औचित्य नहीं है कि विजेता मुसलमान राष्ट्रों का पार्ट उत्पीड़क का पार्ट था और उन्होंने भारत के निवासियों के साथ बहुत अत्याचार और अन्याय किया , उसी तरह जैसा अनार्यों के साथ आर्यों , बौद्धों के साथ

ब्राह्मण्य नेशन एवं गैरबौद्धों के साथ बौद्धों ने किया। मुसलमानों के द्वारा किए गये अत्याचार और अन्याय ने गैर मुसलमानों को नये ढंग से एकताबद्ध किया तथा मुसलमान विरोधी भावधारा उनमें उत्पन्न हुई।

इस तरह भारत में दो नेशन संगठित हुए - फारसी भाषा के आधार पर विजेताओं ने मुस्लिम भावधारा सम्पन्न एक नेशन की सृष्टि की , और संस्कृत भाषा के आधार पर हिन्दू भावधारा ने दूसरे नेशन को जन्म दिया। ये दो नेशन भारत में एक लम्बी अवधि तक साथ - साथ रहे।

पूर्णतया नयी , वह भावधारा , जिसके साथ मुस्लिम नेशन का आरम्भ हुआ , किन्तु हिन्दू या गैर मुसलमान के पास ऐसी सशक्त मुस्लिम विरोधी भावधारा नहीं थी और इसलिए उन्हें एक सशक्त मुस्लिम विरोधी भावधारा बनानी पड़ी , ठीक जिस तरह ब्राह्मण्य नेशन के नेताओं को , अपनी पूँजी के रूप में बौद्ध विरोधी भावना का उपयोग करना पड़ा था , उसी तरह हिन्दू नेशन के नेताओं ने मुसलमान विरोधी भावधारा को अपनी पूँजी बनायी।

हिन्दुओं ने उसके बिलकुल विपरीत करना शुरू किया जो मुसलमान किया करते थे। पूजा के समय हिन्दुओं ने उस प्रकार के वस्त्र का वहिष्कार किया , जिसका उपयोग मुसलमान करते थे। मुसलमान नमाज के समय ढ़ेंका नहीं लगाते , इसलिये हिन्दुओं को ढ़ेंका लगाकर वस्त्र पहनना पड़ा। गोमांस और मुर्गे का मांस मुसलमानों के द्वारा स्वादिष्ट भोजन के रूप में स्वीकृत हुआ और इसलिए हिन्दुओं के द्वारा अखाद्य माना गया। मुसलमान पश्चिमाभिमुख पूजा करते हैं , इसलिये हिन्दुओं ने उसे वर्जित माना। इस तरह के अनेक उपदेश हैं। मैं कह नहीं सकता कि इस प्रकार के विधि - निषेध हिन्दुओं के लिए कितने हानिकारक हैं। इन सामाजिक निर्देशनों के द्वारा हिन्दुओं में एक सशक्त और मुसलमान विरोधी भावना ने जन्म लिया , जिसके परिणाम स्वरूप एक हिन्दू नेशन का गठन हुआ , अन्यथा उस युग के गैर मुसलमानों के लिये अपने स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा करना असंभव होता।

जैसा कि हमलोगों ने आर्यों और अनार्यों के संबंध में देखा है । कि साथ - साथ रहने पर भी दो नेशन अधिक समय तक अपनी स्वतंत्र भावधारा का पोषण नहीं कर सके , यही बात हिन्दू और मुसलमान राष्ट्रों के साथ भी हुई । मुसलमानों की भाषा फारसी विल्कुल विदेशी थी । इस भारत की मिट्टी में पैदा होने वाले हिन्दुओं की भाषा प्राकृत थी । इसलिये भारत की राजधानी दिल्ली के मुसलमानों ने प्राकृत मूल की पूर्वी पंजाबी या फारसी के साथ पश्चिमी हिन्दी के मिश्रण के फलस्वरूप उर्दू भाषा को जन्म दिया । इसके द्वारा मुसलमानों की राष्ट्रीय भावधारा दुर्बल हुई । उन्हें हिन्दुओं के साथ समझौता करना पड़ा । हिन्दुओं की अन्य भाषाओं में अनेक फारसी शब्दों को जगह मिली , जिसके परिणामस्वरूप बंगला , मैथिली , आसामी , भोजपुरी , गुजराती , पंजाबी और अन्य भाषाएँ बनीं जो हिन्दुओं और मुसलमानों की भाषाएँ हैं ।

भारत से पूर्णतया परिचित होने के लिये मुसलमानों ने संस्कृत पढ़ना प्रारम्भ किया । हिन्दुओं ने पैजामा , शेरवानी आदि मुस्लिम परिधानों का उपयोग करना प्रारम्भ किया , जबकि मुसलमानों ने

हिन्दू के परिधान धोती , चादर आदि को पहनना शुरू किया । मुसलमानों ने हिन्दुओं की चौधरी , मण्डल आदि उपाधियाँ लीं , उधर हिन्दुओं ने मल्लिक , खाँ , सरकार और मजुमदार मुस्लिम उपाधियों का उपयोग आरम्भ किया । हिन्दुओं ने दरगाह और पीर साहब पर सिरनी चढ़ायी । हिन्दुओं के सत्यनारायण मुसलमानों के सत्य पीर हुए । विजित हिन्दुओं के साथ विजेता मुसलमानों का भूतकालीन संबंध खत्म हुआ । हिन्दू और मुसलमान दोनों एक दूसरे के साथ भाई - भाई का व्यवहार करने लगे । मुसलमानों की मुस्लिम भावधारा आशातीत रूप से दुर्बल हुई । दोनों भावधाराओं की समाप्ति के साथ दोनों हिन्दू और मुसलमान नेशन हीन हुए । यह ऐसी परिस्थिति में हुआ जब मराठे , राजपूत और सिक्खों ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया । किन्तु वे भी गैरमुस्लिम भावधारा की सृष्टि थे । इसलिए हिन्दू और मुसलमान में बन्धुत्व भाव की स्थापना हुई , मराठा , राजपूत या सिक्ख भावधारा टिक नहीं सकी । भावधारा के अभाव में भारत टूट गया ।

जब पुनः दोबारा भारत नेशन हीन हुआ , मुसलमानों ने इस देश पर आक्रमण किया और जब भारत तीसरी बार नेशन हीन हुआ तो ब्रिटिश आक्रमण शुरू हुआ। अंग्रेजों ने नेशन हीन भारत को बहुत आसानी से जीत लिया।

इसमें संशय नहीं कि मुसलमानों ने भारत को जीता किन्तु वे इसे मातृभूमि के रूप में देखते थे। कोई नहीं कह सकता है कि उन्होंने विदेशी के रूप में भारत का केवल शोषण किया किन्तु ब्रिटिश के साथ बात दूसरी थी। वे भारत में बसने की दृष्टि से नहीं , बल्कि धन अर्जन के लिये आये। भारत को जीतने के बाद उन्होंने पूरी शक्ति के साथ अपने शोषण - यन्त्र का प्रयोग आरम्भ किया और इस शोषणकी सहायता के लिये एक समर्थ सरकार का गठन किया। सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंग्रेजी में शिक्षित लोगों का एक समाज तैयार किया। अंग्रेजों के शोषण यन्त्र ने भारत की जनता के सभी वर्गों की आँखें खोल दी। अंग्रेजों की शोषण नीति के विरोध के आधार पर पूरा भारत एकता के सूत्र में बंधा। यह सबसे पहला समय था जब भारत एक नेशन के रूप में

गठित हुआ । अंग्रेजी भाषा ने भारत में एकीकरण की कड़ी का काम किया । अंग्रेजी , मात्र अंग्रेजों की भाषा नहीं रही , वह बहुभाषी भारत की एकता का सूत्र बन गया ।

अंग्रेजों के प्रयत्नों से एक भारत नेशन विकसित हुआ , यद्यपि वे जानबूझ कर यह करना नहीं चाहते थे । भारत , जो सैकड़ों हिस्सों में बँट गया था , एक देश या नेशन के रूप में एकताबद्ध हो गया , जो अतीत में कभी नहीं हुआ था । भारत को , जिसे अनेक भाषाएँ , लिपियाँ , धर्ममत , जातियाँ , वंश , रीति - रिवाज , प्रथा , भोजन और परिधान आदि थे अपना इतिहास नहीं था । अति प्राचीन काल से भारत अनेक छोटे राज्यों में विभाजित था । प्रत्येक का अपना इतिहास था । पूरे भारत में न पाण्डव और न अशोक या कनिष्क या समुद्रगुप्त एक समग्र भारत की एक नेशन व्यवस्था प्रवर्तित कर पाये । अंग्रेजों की राष्ट्रीय चेतना से भारतीय जनता ने व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त की और उनमें भी राष्ट्रीयता विकसित हुई ।

विदेशी अंग्रेजी नेशन के विरुद्ध भारतीय नेशन का संग्राम आरम्भ हुआ । इस स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय नेताओं ने भारी भूल की । राजनीतिक आंदोलन चलाने के बदले उन्हें आर्थिक संघर्ष में लगना चाहिये था । भारतीय नेताओं की इस चूक का फायदा अंग्रेजों ने उठाया । उन्हें भारतीय नेशन को दो भागों में विभाजित करने का अवसर मिल गया । उन्होंने मुसलमानों में यह भावना भर दी कि भारत में हिन्दू अधिक संख्यक है और इसलिये अंग्रेजों ने यदि भारत को छोड़ दिया , तो सरकार स्वभावतः हिन्दूओं के हाथ में चली जायेगी और समूचे भारत के मुसलमानों को उनकी प्रजा के रूप में रहना होगा । इस कुटनीति से अंग्रेजों के लिये एक अच्छा परिणाम हुआ । मुसलमानों में हिन्दुओं का भय (Hindu Phobia) विकसित हुआ । मुसलमान नेताओं ने पूरी शक्ति के साथ इस हिन्दू भय का प्रचार प्रारम्भ किया और हिन्दू - भय से उत्पन्न इस गैर हिन्दू भावधारा (Anti Hindu Sentiment) के परिणाम स्वरूप भारत में इस 20

वीं शताब्दी में एक मुसलमान नेशन पुनः पैदा हुआ । इस हिन्दू भय से निर्देशित होकर उन्होंने मुसलमान नेशन के लिये एक पृथक देश की माँग की । इस पृथक वासभूमि की उनकी माँग को रोकना हिन्दुओं के लिये सम्भव नहीं था , क्योंकि इस समय भारत में नेशन गठित नहीं हुआ था , जिसे हिन्दू नेशन कहा जा सकता था । कारण बिल्कुल साधारण है । भारत में हिन्दुओं का सांख्याधिक्य रहने पर भी हिन्दुओं में मुस्लिम विरोधी भावधारा के अभाव में हिन्दू नेशन को नये सिरे से गठित नहीं किया जा सकता था ।

पंजाब और बंगाल से साथ बात दूसरी थी जहाँ मुसलमान अधिक संख्यक थे । यदि ये दो प्रदेश पूर्णतया मुसलमानों को मिल जाते , तो इन क्षेत्रों की हिन्दू जनता को मुसलमानों की प्रजा के रूप में रहना पड़ता । इसी भय से इन प्रदेशों के हिन्दू - मुस्लिम - भयाक्रान्त हुए और यही कारण है कि उन्होंने हिन्दुओं के लिये स्वतंत्र वासभूमि की

मांग की । भारत के विभाजन के साथ पंजाब और बंगाल दोनों विभाजित हो गये ।

भूल कहाँ है ? ब्रिटिश विरोधी भावधारा के परिणाम स्वरूप जब उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय नेशन गठित हुआ , तब उस समय के भारतीय नेताओं को राजनीतिक क्रान्ति आरम्भ करने के बदले आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष छेड़ना चाहिए था । सभी भारतीय संयुक्त रूप में साथ - साथ लड़ सकते थे । इस आर्थिक संघर्ष में हिन्दू - मुस्लिम , पंजाबी और मराठी भावना नहीं थी , परिणाम स्वरूप भारत में एक शोषण विरोधी भावधारा देखी जा सकती थी । यह भावधारा , भारतीयों का शक्तिशाली नेशन बना सकती थी । यदि राजनीतिक स्वतंत्रता के लिये लड़ाई नहीं होती तो यह भय मुसलमानों के मन में पैदा नहीं होता कि भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें हिन्दुओं के अधीन रहना पड़ेगा । हिन्दू - भय की अनुपस्थिति में मुस्लिम नेशन की वासभूमि के लिये माँग नहीं होती और जब भारत आर्थिक स्वतंत्रता

प्राप्त कर लेता तब हिन्दू और मुसलमान अविभाजित भारत में भाई - भाई के रूप में साथ रहते । आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई राजनैतिक स्वतंत्रता ले आती । इसमें कुछ देर हो सकती थी किन्तु राजनैतिक स्वतंत्रता का आना निश्चित था।

जब ब्रिटिश ने आर्थिक और राजनीतिक दबाव के कारण भारत छोड़ने का निश्चय किया , हिन्दू नेताओं की मांग अविभाजित भारत की थी जब कि मुसलमानों की अपनी वासभूमि की । दोनों में सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण समझौता का रास्ता नहीं था । इसलिए ब्रिटिश को भारत को विभाजित करना पड़ा । ऐसी परिस्थिति में नेताओं के हाथ में विभाजन से बचने का क्या कोई रास्ता नहीं था ? रास्ता था । वे भारत के विभाजन के बदले आर्थिक स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू करते एक और स्वतंत्र भारत पाना असम्भव नहीं था किन्तु न तो हिन्दू और न मुसलमान नेताओं ने वैसा किया जिसका कारण उन्हें ही मालूम है ।

आर्थिक संघर्ष ब्रिटिश शोषण मात्र तक सीमित नहीं रहता , बल्कि वह भारतीय पूँजीवादी शोषकों (सामाजिक , आर्थिक , मनोवैज्ञानिक) तक बढ़ता । जब ब्रिटिश जान जाते कि उनका शोषण जारी रखने लायक नहीं है , वे भारत को राजनैतिक स्वतंत्रता देने के लिये बाध्य हो जाते । राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ भारतीय पूँजीवाद भी समाप्त हो जाता । किन्तु हिन्दू और मुसलमान दोनों पूँजीवादी थे इसलिए उन्होंने इसे पसन्द नहीं किया । उन्होंने पूँजीवाद को जिन्दा रखते हुए आजादी चाही । यही कारण है कि उन्होंने विभाजित भारत को स्वीकार किया । उन लोगों ने आर्थिक स्वतंत्रता क्यों नहीं पसन्द की । इसके दो कारण है । उनमें से एक कारण था कि जो राजनैतिक स्वतंत्रता के संघर्ष के नेता थे , वे आर्थिक स्वतंत्रता के संघर्ष के लिये उपयुक्त नेता नहीं भी हो सकते थे । खासकर आर्थिक स्वतंत्रता का संघर्ष किसी समय सामूहिक क्रन्ति और रक्तपात पर उतारू हो सकता है और इन क्रान्तिकारियों में

से युवा नेताओं के उभरने की पूरी सम्भावना थी , पर नेताओं ने इसे नहीं चाहा । उन्होंने अहिंसा के सिद्धांत के उपदेश से भयानक क्रान्ति को रोकने का प्रयत्न किया । नेताओं में इस बात को लेकर एक और कमजोरी थी । राजनीतिक संघर्ष के बीच बहुत नेता हिन्दू - मुसलमान दोनों बूढ़े हो गये थे । सम्भवत : उन्होंने सोचा कि यदि उन्होंने नये सिरे से आर्थिक स्वतंत्रता के लिये लड़ाई शुरू की और लड़ाई यदि अधिक समय तक जारी रही तो सत्ता में आने का सुअवसर उनको नहीं मिलेगा । शायद इस विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत के विभाजन जैसे गर्हित अपराध की स्वीकृति दी ।

भूल कहाँ है ? वे तत्त्व जिन्होंने यूरोप को अनेक राष्ट्रों का एक देश बनाया , भारत के साथ भी लागू होने योग्य है । बल्कि वह भेद जो भारत नेशन में एक दूसरे प्रदेश के बीच विद्यमान है , यूरोप में रहने वाले भेद से बड़ा है । बंगाली , असमिया , उड़िया , आन्ध्र , तमिल ,

मलयाली , महाराष्ट्री , गुजराती , राजस्थानी , पंजाबी , डोगरी , कश्मीरी , लद्दाखी , मैथिली , मगही , भोजपुरी , उनकी अपनी - अपनी भाषा , रीति - रिवाज और तरीका , जीवन पद्धति , स्वरशैली इतिहास और परम्पराएँ हैं । उनमें से कुछ की अपनी लिपियाँ , पंचाग , दायाधिकार व्यवस्था , परिधान - परिच्छेद हैं । यूरोपीय राष्ट्रों में उतना अधिक भेद नहीं है । तौ भी स्वातन्त्रय संग्राम में अंग्रेजी भाषा और ब्रिटिश - विरोधी भावधारा ने भारत को एक नेशन बनाया था । ब्रिटिश के प्रस्थान के बाद ब्रिटिश विरोधी भावधारा नहीं रही और इसलिये भारत के नेशन की भी मृत्यु हो गई । आज कुछ ही लोग हैं जो अपने को भारतीय समझते हैं । कुछ अपने को पंजाबी मानते हैं , कुछ आन्ध्र , कुछ बंगाली , कुछ भूमिहार और कुछ राजपूत । उनमें से कोई भी भारतीय नहीं है । एक मात्र जोड़ने वाली कड़ी आज है - अंग्रेजी भाषा का दुर्बल बन्धन । जो राष्ट्रीयता की झूठी भावना से निर्दिष्ट हैं वे आज इस भाषा को भी खत्म करने

का यत्न कर रहे हैं । यह स्पष्ट है कि अंग्रेजी भाषा के निर्वासन के साथ भारतीय नेशन की अन्त्येष्टि पूरी हो जायेगी ।

भारत से ब्रिटिश के प्रस्थान के पश्चात् ब्रिटिश विरोधी भावना की मृत्यु के साथ - साथ एक नई भावधारा उत्पन्न की जानी चाहिये थी ; किन्तु भारतीय नेताओं ने वैसा नहीं किया । पाकिस्तानी नेताओं कुछ दूर तक किया । प्रारम्भ में उन्होंने ब्रिटिश विरोधी भावना के स्थान पर हिन्दू विरोधी भावना का उपयोग किया और बाद में कश्मीर समस्या के प्रश्न पर भारत विरोधी भावना पैदा की गई । इन भावनाओं ने पाकिस्तान की जनता को कुछ दूर तक सहायता की , किन्तु भारत में कोई भावना - सेन्टिमेन्ट ही नहीं है । पाकिस्तान के समान भारत के पास भी कई भावनाओं के उपयोग के अवसर थे किन्तु , नेताओं ने वैसा नहीं किया । वे पाकिस्तान विरोधी सेन्टिमेंट भारत के ऊपर चीन के आक्रमण को केन्द्र कर चीन विरोधी सेन्टिमेंट , गोआ को

केन्द्र पर पोर्तुगीज विरोधी सेन्टिमेंट के द्वारा शून्यस्थान को पूर्ण कर भारतीय नेशन को जीवित रख सकते थे । वे कल्पना के राज्य में घूमते रहे ।

यह बड़े दुःख की बात है कि एक सशक्त भावधारा के आधार पर नेशन के गठन के लिये प्रयत्न नहीं किया गया, इसके विपरीत एकता का पारस्परिक प्रेम , बन्धुत्व , जो भारतीय समाज में था ; इन नेताओं के अविवेकपूर्ण आचरणों के द्वारा टूटने जा रहा है । वर्तमान नेतृत्व की तीन मुख्य भूलें , जो भारत की एकता को विनष्ट करने जा रही है :

1. भाषा के आधार पर प्रदेश सीमांकन का प्रयत्न

2 . राष्ट्रीय भाषा

3. उच्च शिक्षा में शिक्षण के माध्यम के

रूप में मात्र स्थानीय भाषा का प्रयोग ।

मैं कह चुका हूँ कि भारत अनेक भाषाओं , सम्प्रदायों और रीति - रिवाजों का देश है । राजनीति विज्ञान का एक साधारण छात्र भी बड़ी आसानी से समझ सकता है कि इन भेद भावनाओं के आधार पर किसी भावधारा के विकास को अवसर प्रदान करने का परिणाम देश के हित के लिये अत्यन्त हानिकारक होगा । इस पर भी भाषा के आधार पर प्रदेश के गठन का कार्य आरम्भ कर नेताओं ने वही भूल की । आज जिला , कमिश्नरी , थाना और गाँव तक की सीमाओं के प्रश्न पर विभिन्न भाषा - भाषी दलों में रस्सा - कसी है । देश में ऐसे विवादों का परिणाम कितना खतरनाक है , जहाँ नेशन के रूप में नाम लेने के लिये कुछ भी नहीं है । इस समस्या पर खूब ध्यान से सोचने का समय भारत के हितचिन्तकों के लिये अब आ गया है । कुछ अंश तक यह सह्य था , यदि बिल्कुल अल्प समय के भीतर पूर्णतया भाषा के आधार पर प्रदेश गठित हो जाते , किन्तु वह भी नहीं किया गया । स्वभावत : भाषा के

आधार पर प्रदेशों की सीमाओं को सही तौर पर निश्चित करना सम्भव नहीं है । अर्थात् प्रत्येक जगह कुछ त्रिभाषी या विभाषी क्षेत्र होंगे फिर भी भाषा के आधार पर जो किया जाना चाहिये था , नेताओं के द्वारा नहीं किया गया । इसका परिणाम यह है कि भाषाधार भाषा विषयक अल्प संख्यक समूचे भारत में निराशा के मनोभाव से पीड़ित हैं । वस्तुतः भाषाधार राज्य के गठन के प्रश्न को उठाना उनके लिए अनुचित था । कुछ दिन पूर्व एक राज्य में नेता स्तर के कुछ लोगों ने कहना आरम्भ किया कि सीमा आयोग ने उनके साथ न्याय नहीं किया है और इसलिये वे भारत से पृथक हो जायेंगे । तथाकथित भारतीय नेशन की दशा देखिए ।

राष्ट्रभाषा की विवादास्पद समस्या के उत्थान के द्वारा एक भारी हठकारिता का परिचय दिया गया है । इसने एकता के विकास में योग नहीं दिया है बल्कि इसके विपरीत इसने फूट को बढ़ावा दिया है ।

कुछ लोग समूचे भारत में एक लिपि लागू करने की बात सोच रहे हैं । क्या यह व्यावहारिक या वांछनीय है ? पूरे पाकिस्तान में उर्दू लिपि लागू करने की चेष्टा के परिणाम को वे भूल गए हैं ? तब उस भारत के सम्बन्ध में क्या कहा जाय , जहाँ राष्ट्रीयता ने आज अभी तक निश्चित रूप नहीं लिया है ।

भारत में अनेक लिपियाँ हैं । सभी लिपियाँ समान रूप से प्राचीन है । अति प्राचीन काल से भारत की सर्व साधारण सम्पत्ति संस्कृत भाषा विभिन्न लिपियों में लिखी जाती रही है । संस्कृत के पास कोई अपनी लिपि नहीं है । यद्यपि भारतीय वर्णमाला का क्रम ध्वनिविज्ञान सम्मत है , किन्तु व्यावहारिक क्षेत्र में लिपियां विज्ञान सम्मत नहीं है । यद्यपि रोमन लिपि सर्वाधिक विकसित वैज्ञानिक लिपि है , विभिन्न साहित्य वाले भारत की जीवित भाषाओं पर इस लिपि का आरोप मैं वांछनीय नहीं मानता । फिर भी किसी तरह उन भाषाओं के लिये , जिन भाषाओं को व्यावहारिक

तौर पर कोई साहित्य बिल्कुल नहीं है (कोंकणी , संथाली , खासिया आदि) या उनमें जो बोलचाल की भाषाएँ नहीं है (संस्कृत , पाली) रोमन लिपि का व्यवहार असुविधाजनक नहीं है । समृद्ध साहित्य वाली भाषाओं का हित इससे बहुत अधिक क्षतिग्रस्त होगा (जैसे - बंगला , हिन्दी , तमिल , गुजराती) यदि उन पर रोमन लिपि आरोपित होती है , क्योंकि ऐसा करने से अतीत और भावी साहित्य की कड़ी टूट जायेगी । इस सम्बन्ध में हम याद कर सकते हैं कि जब कमालपाशा ने तुर्की में अरबी के स्थान पर रोमन लिपि जारी की या मेडी के स्थान पर मराठी भाषा में नागरी लिपि लागू की गई , तो उस समय उनका साहित्य अनअग्रसर था । आज मराठी या तुर्की के लिये लिपि परिवर्तन करना बहुत अधिक हारिकारक है । यह तो किसी विशेष भाषा - भाषी जनता की स्वतंत्र इच्छा पर छोड़ देना चाहिए कि उनकी लिपि में कोई परिवर्तन वांछनीय है या नहीं ।

इस विषय में और एक समस्या है । भारतीय भाषाओं में बंगला तथा उर्दू भारतीय और पाकिस्तानी दोनों ही है । इसलिये उसकी लिपि में परिवर्तन करना केवल भारत या केवल पाकिस्तान के अधिकार के बाहर है । समग्र भारत में केवल बंगला या केवल उर्दू लिपि का व्यवहार करने से भी समस्या का समाधान नहीं होगा । यदि पाकिस्तान यह नहीं मानता है , अन्यथा एक राष्ट्रलिपि में परिवर्तन करने से भाषाएँ प्रबल रूप से क्षतिग्रस्त होंगी । जनसाधारण मातृभाषा को क्षतिग्रस्त होने देना नहीं चाहेगा । वे विक्षुब्ध हो उठेंगे , जैसा कि पूर्व पाकिस्तान में बंगला भाषा में उर्दू लिपि चलाने की प्रचेष्ठा के प्रतिवाद में हुआ था । जिस कल्पना में अशान्ति की सम्भावना रहे , उसे प्रश्रय देना क्या वह विवेक का कार्य है ? नेता लोग कल्पना का नशा उतार कर वास्तविकता की मिट्टी पर उतर कर देखें वास्तविकता की मिट्टी बहुत कठोर है बहुत निष्करूण है ।

आजकल उच्च शिक्षा में स्थानीय भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है । ब्रिटिश शासन के समय भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी था । किसी भी प्रदेश के छात्र भारत के किसी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते थे । छात्रों के नजदीकी सम्पर्क के परिणामस्वरूप उनमें अखिल भारतीय बन्धुत्व की चेतना विकसित हुई किन्तु , अब उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषा की स्वीकृति के परिणामस्वरूप अन्तर्राज्य सम्पर्क का अवसर तेजी से कम होता जा रहा है । दिन प्रतिदिन भारत निवासियों के बीच बन्धुत्व- भावना के विकास की सम्भावना क्षीण हो रही है । इन स्थितियों में अधिकांशतः छात्र अपने राज्य तक सीमित रह जायेंगे और अखिल भारतीय भावना के अभाव के फलस्वरूप धीरे - धीरे प्रान्तवाद पैदा होगा ।

अब क्या करना चाहिए ? भाषाभार राज्य के प्रश्न को पूर्णतया नेताओं को भूल जाना चाहिये और इसके स्थान पर पूर्णतया आर्थिक आधार पर राज्यों के संगठन का काम आरम्भ करना चाहिये । जीवन के सभी क्षेत्रों में अंग्रेजी के साथ कोई भाषा और जन सम्पर्क (सर्व साधारण सम्पर्क) के माध्यम रूप में अपने - अपने क्षेत्रों में भारत की प्रत्येक भाषा को आधिकाधिक सुविधा दी जानी चाहिये । किसी भी व्यक्ति को दबाने की कोई प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए । यदि भाषा के मामले में समान सुविधा सबको दी जाती है तो कोई भी भाषाधार राज्य के गठन की बात नहीं सोचेगा । भविष्य का सशक्त भारत नेशन आवश्यकतानुसार इस समस्या पर पुनर्विचार कर सकता है और परिवर्तित परिस्थितियों की मांग के अनुसार कोई निर्णय ले सकता है । वर्तमान नेताओं को इस समस्या पर झंझट मोल लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है । अंग्रेजी के स्थान पर किसी दूसरी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारने या इसकी

आवश्यकता के संबंध में भी नेताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है । सबसे पहले एक सशक्त भावना के आधार पर एक शक्तिशाली नेशन संगठित वे करें । भविष्य का भारत नेशन राष्ट्रभाषा पर निर्णय लेने का उत्तरदायित्व लेगा । क्षेत्रीय विवादों को जन्म देने वाली ऐसी समस्याओं पर समय और शक्ति विनष्ट करने का यह समय नहीं है । अभी नेशन ही नहीं है । अनेक राष्ट्रों की वासभूमि भारत आज आन्तरिक अखण्डताओं से पूर्ण विवादग्रस्त , ठीक एक संयुक्त परिवार के समान है । यदि संयुक्त प्रयत्नों से नेशन का गठन सम्भव न भी हो ; एक आदर्श पर आधारित एक संश्लिष्ट बहु - राष्ट्रीय इकाई के गठन के द्वारा वे एक संयुक्त परिवार के रूप में मैत्रीपूर्ण रूप से साथ रह सकते हैं । इसको ध्यान में रखना है कि संयुक्त परिवार की पूर्ण एकता कायम नहीं रखी जा सकती है , यदि कार्य बराबर मत- पत्र की शक्ति पर करना पड़े , ऐसी स्थिति में पराजित सदस्य संयुक्त परिवार को छोड़ देंगे

अर्थात् यौथ परिवार विनष्ट हो जायेगा । संयुक्त परिवार सदा अपने सदस्यों में से प्रत्येक की हित - कामना से सम्पोषित होता है (वर्तमान स्थिति में भारत के राष्ट्रों के प्रत्येक सदस्य) । यह बड़े क्लेश की बात है कि वर्तमान भारत में इस हित - भावना की कमी है । यहाँ तक कि बड़े नेता भी सम्पूर्ण भारत के हित को सोचने के बदले अपने निजी राष्ट्रों (भाषा , प्रदेश , सामुदायिकतावाद या जातीयता आदि के आधार पर) के हित को देख रहे हैं । उनमें से कोई भी भारत के नेता नहीं है , वे सभी अपने निजी राष्ट्रों के नेता हैं । उनके हाथों में दूसरे का हित सुरक्षित नहीं है ।

यह उचित है कि अंग्रेजी कॉलेजों , और विश्वविद्यालयों में शिक्षण - माध्यम के रूप में जारी रहे । प्रश्न पत्र भी अंग्रेजी में रहे , किन्तु छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार अंग्रेजी या विश्वविद्यालय के द्वारा स्वीकृत किसी दूसरी भाषा या भाषाओं में उत्तर लिखने का अधिकार होना चाहिए

। स्वीकृत भाषाओं की संख्या जितनी अधिक होगी , देश और छात्रों के हित में वह उतना ही अच्छा होगा । स्कूल फाइनल परीक्षा के छात्रों को भी अंग्रेजी या दूसरी स्वीकृत भाषाओं में उत्तर लिखने का अधिकार दिया जाना चाहिये । शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी या अन्य स्वीकृत भाषाएँ होनी चाहिए और प्रश्न - पत्र स्वीकृत भाषाओं में भी छापे जायें । छात्र असुविधाओं का अनुभव कर सकते हैं , यदि शिक्षण का माध्यम या प्रश्न - पत्र मात्र अंग्रेजी में रहे । फिर भी अंग्रेजी निश्चित रूप से एक स्वीकृत भाषा रहे अन्यथा यह दूरस्थ प्रदेश से आने वाले छात्रों के लिये वहाँ शिक्षा पाना , जहाँ मातृभाषा स्वीकृत भाषाओं की अनुसूची में अन्तर्विष्ट नहीं है ; कठिन होगा ।

ये सभी सुझाव उस विखण्डन यन्त्र प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न है , जो भारत में विद्यमान हैं । किन्तु नेशन निर्णायक तत्त्व के रूप में हमें कुछ और वस्तु की आवश्यकता है । एक बहु-नेशन इकाई या एक नेशन के

निर्माण के लिये वर्त्तमान भारत को और क्या करना चाहिए ?

भारत की जनसंख्या के अधिकांश लोग दरिद्रता - पीड़ित हैं । वे पूँजीवाद के शोषण से मुक्ति चाहते हैं । राजनैतिक स्वतंत्रता का उनके लिये कोई मूल्य नहीं है , यदि यह उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करती । मैंने अधिकांश गरीब कृषकों से सुना है । ' क्या हम अपने मत - पत्र ब्रिटिश के लिये चिन्हित बक्से में नहीं दे सकते ? हमलोग वही करेंगे । उनकी सरकार अच्छी थी । ये टिप्पणियाँ निश्चिय ही वर्तमान नेताओं का गौरव नहीं बढ़ाती है । यदि एक शक्तिशाली नेशन या एक बहु - राष्ट्रीय इकाई गठित करनी है तो पूँजीवादी शोषण के विरुद्ध संग्राम करना ही होगा । केवल समाजवाद या समाजवादी आदर्श या कल्याणमूलक राज्य की लम्बी बातें कोई फल पैदा नहीं करेगी । इन नारों से जनता के मन में कोई भावधारा (सेन्टिमेंट) विकसित नहीं हो रही है । जब तक सशक्त भावधारा (सेन्टिमेंट)

उत्पन्न नहीं होती , नेशन या बहु - राष्ट्रीय इकाई गठित नहीं हो सकती । जनसाधारण में उस भावना के अभाव के कारण अपने कल्याणमूलक कार्य में , सरकार को जनता की सहायता या सहयोग मुश्किल से मिलता है । भावना उत्पन्न करने के लिये भारत को बहुत अवसर हैं और आज भी वे विद्यमान हैं ; पाकिस्तान विरोधी , या पोर्तुगीज विरोधी , या चीनविरोधी सेन्टिमेंट की सहायता से सामयिक रूप से भारतीय नेशन या बहुराष्ट्रीय गोष्ठी का सेन्टिमेंट अधिक दिन तक नहीं चलेगा । इसके अलावे इन सेन्टिमेंट के फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विद्वेष उत्पन्न होगा , उसके फलस्वरूप विश्वयुद्ध की संभावना होगी । किन्तु विश्व - बन्धुत्व के हित में उनसे कोई सहमत नहीं हो सकता है । यदि भारत के गरीबी से पीड़ित जन समुदाय के बीच शोषण विरोधी भावना उत्पन्न की जाती है तो मात्र एक सशक्त नेशन या एक बहु - राष्ट्रीय इकाई एक लम्बे समय के लिये पूर्ण एकता के साथ कायम रहेगी । इसलिए नेताओं को

अतीत की भूल का सुधार करना चाहिए और पूरी शक्ति से शोषण विरोधी अभियान नये सिरे से प्रारम्भ करना चाहिए । भारत की रक्षा के लिये दूसरा विकल्प नहीं है । किन्तु क्या वे ऐसा कर सकते हैं या करने को इच्छुक होंगे ? वर्तमान में अधिकांश नेता ही मुख से जितनी लम्बी चौड़ी बातें क्यों न बोलें , असल में वे हैं पूँजीवादी , ये ज्ञात या अज्ञात रूप में पूँजीवाद की दलाली करने चले हैं । जनसाधारण क्रमश : इनके ऊपर से विश्वास खो चुका है । अगर वे ऐसा करते हैं , यह बहुत अच्छा और शुभ है । यदि वे नहीं करते हैं तो वे शायद सरकारी यन्त्रों के दबाव के द्वारा बलपूर्वक जनता को संयुक्त करने का प्रयत्न करेंगे । किन्तु क्या यह सम्भव होगा ? भारत की विचित्र भूमि की भिन्न - भिन्न विशेषताएँ सरकारी यंत्रों के स्टीम रौलर के द्वारा धूल में नहीं मिलाई जा सकती । और ऐसी एकता बिल्कुल वांछनीय नहीं है । स्टीम रौलर , वाष्प - बेलन का जितना ही प्रयोग

होगा जनता में उतना ही अधिक असन्तोष बढ़ेगा । यदि बल प्रयोग के द्वारा कुछ किया जाता है तो भारत की दशा बालकन राज्य के ही समान होगी । समूचा भारत अनगिनत छोटे - बड़े राज्यों में बँट जायेगा । बड़े और छोटे अनगिनत नेशन परस्पर युद्ध रत होंगे , इसलिए यह प्रतीत होता है कि भारत के हित में वर्तमान नेताओं को सेवा से अवकाश प्राप्त करने की आवश्यकता है । मैं इस सम्बन्ध में एक और बात कहना आवश्यक समझता हूँ । वे , जो समझते हैं कि भूदान या सर्वोदय आंदोलन शोषण के विरुद्ध संग्राम है , गलती में है । बल्कि यह आंदोलन बड़ी चालाकी से शोषण विरोधी आंदोलन को टालता है । यह मात्र पूँजीवादी शोषकों के लिये ही लाभकारक होगा, क्योंकि इसके द्वारा जनता की संघर्ष चेतना का कुशलता के साथ दमन किया जाता है ।

राजनीति न तो मेरा व्यवसाय है . न जीविका । मैं इतिहास का एक विद्यार्थी हूँ । मैं उस भयानक चित्र को प्रस्तुत करना अपना कर्त्तव्य समझता हूँ जिसे मैं भारत के

प्रसंग में मन में स्पष्ट रूप से देखता हूँ , ताकि भावी इतिहासकार मुझे दोष न दें । इस संबंध में उच्चतम दायित्व देश के नेताओं पर है । वे देश को बचा सकते हैं या डूबा भी सकते हैं । भारत की रक्षा के लिए वर्तमान नेताओं को , तुरंत भारतीय जनता को एक सशक्त नेशन या शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय इकाई में बदलने के लिये एक नीति का खाका तैयार करना चाहिए । इस विषय में शब्दों का बहाना या इन्द्रजाल देश हित की दृष्टि से बड़ा घातक होगा । यदि नेता ऐसा नहीं करते , मुझे भय है किसी भी क्षण भारत की राजनीतिक एकता और भौगोलिक अखण्डता आक्रांत हो सकती है , विशेषतः तब जब देश में विखण्डन की प्रवृति सक्रिय हो । हमें नहीं भूलना चाहिए कि अतीत काल में यहाँ एकता का अभाव ही था जिसने कई बार भारत को दासता के अधीन किया । यदि इस वर्तमान स्थिति में भी एकता की कमी हो तो यह समझना होगा कि भारत बौद्धिक दृष्टि से दिवालिया हो गया है ।

मैं आशावादी हूँ मैं आशा करता हूँ कि नेता अपनी भूलों का अनुभव करेंगे और साहस के साथ वस्तु स्थितियों का समना करेंगे । यदि वे ऐसा करने में विफल होते हैं तो भावी भारत नये नेताओं की सृष्टि करेगा और वे भावी नेता ध्वंश से भारत को बचायेंगे ।

आज भारत की जनता का मुख्य कर्त्तव्य होगा नेताओं के द्वारा की गई भूलों का संशोधन करना और शोषण विरोधी अभियान के द्वारा भारत की एकता की स्थापना करना । भारत को बचाना ही होगा । यह शोषण विरोधी अभियान मात्र भारत की एकता की स्थापना ही नहीं करेगा बल्कि भारत पाकिस्तान और दक्षिण पूर्व एशिया के पिछड़े गरीब देशों के प्रत्येक की एकता की स्थापना होगी । एक शक्तिशाली या एक बहु - राष्ट्रीय इकाई इससे विकसित होगी । यह एक सामान्य बात है कि चाहे उस नेशन या बहु - राष्ट्रीय इकाई का जो कुछ भी नाम हो यह शोषण - विरोधी आंदोलन के द्वारा ही सम्भव होगा या अनेक राष्ट्रों

के देश के रूप में एकता स्थापित होगी । इस शोषण विरोधी संग्राम के माध्यम से बहु नेशन विनिष्ट रूस एकताबद्ध हुआ है । इस आंदोलजन ने चीन को भी शक्तिशाली बनाया । पूँजीवादी देशों में शोषण विरोधी भावधारा के आधार पर राष्ट्रों की एकता स्थापित नहीं हुई है । उनकी एकता कुछ दूसरी भावधाराओं पर आधारित है । इसलिये उनकी आभ्यान्तरीण दृढ़ता अपेक्षाकृत अल्प है । किन्तु उन सभी ने अपने आभ्यान्तरीण वैचित्र्यों को स्पष्ट रूप से स्वीकृति देकर अपनी एकता की रक्षा की है । भारत के नेताओं को अपनी क्रमिक स्थितियों का उपयुक्त सतर्कता के साथ अध्ययन करना चाहिए ।

यह शोषण विरोधी भावना लम्बे समय के लिये एक नेशन को या बहु - राष्ट्रीय इकाई को जीवित नहीं रख सकती है , जो कि यह भावना इसके गठन के लिये सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । शोषण एक दिन बन्द होगा ही । वर्तमान स्थिति में पूर्ण विश्वास के साथ यह कहा जा

सकता है कि शोषण का घनत्व अगर पूर्णतया नहीं तो बहुत दूर तक समाप्त किया जायेगा । जितना शीघ्र जिस देश का शासन तन्त्र सदविप्रों के हाथों में आता है , उस देश में शोषण समाप्त हो जायेगा । शोषण की अनुपस्थिति में शोषण - विरोधी भावधारा खत्म हो जायेगी और परिणामतः शोषण - विरोधी भावना पर आधारित नेशन या बहुराष्ट्रीय इकाई का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा । तब क्या होगा ? तब आध्यात्मिक ऐक्य और ब्राह्मण्डीय आदर्श की भावना मनुष्य में ऐक्य स्थापित करेगी । यह सच है कि यह आध्यात्मिक भावना किसी एक नेशन के गठन के लिये सहायक नहीं होगी किन्तु निश्चित रूप से यह समूचे ग्रहीय संसार और विश्व ब्रह्माण्ड तक को एक नेशन के रूप में गठित करेगी । तब मात्र एक नेशन गठित होगा , एक विश्व नेशन |

आज मनुष्य चाहे वे जिस किसी देश के हों एक ओर शोषण विरोधी भावना का , (शोषण का अर्थ केवल आर्थिक

क्षेत्र का शोषण नहीं है यह सभी प्रकार के शोषण को अन्तर्विष्ट करता है) प्रचार करें और अपने - अपने देशों में एक शक्तिशाली नेशन का गठन करें , और दूसरी ओर आध्यात्मिक ऐक्य का सिद्धान्त बतलाता है कि प्रत्येक जीव परम पिता की सन्तान है और सभी राष्ट्रों के सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं । इसकी व्याख्या सबके सामने करनी होगी कि जब तक नेशन की भावना विद्यमान रहेगी , विभिन्न राष्ट्रों के बीच संघर्ष होगा , वे निरस्त्रीकरण की बातें कर सकते हैं किन्तु सैनिक तैयारी भीतर ही भीतर चलती रहेगी । यदि ये सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण के हित में अपने को समर्पित करते हैं उनका अपना नेशन भी लाभान्वित होगा , क्योंकि वे विश्व के बाहर नहीं हैं । आध्यात्मिक ऐक्य के सिद्धांत के साथ एक ब्रह्मण्डीय आदर्श का भी प्रचार करना होगा , वह आदर्श है कि एक परमपिता - परम सत्ता सभी जीवों के लक्ष्य हैं । यह आध्यात्मिक भावना सदा के लिये मनुष्य में ऐक्य की

स्थापना करेगी और कोई दूसरा सिद्धांत मानव जाति की रक्षा नहीं कर सकता । नान्यः पन्था विद्यते अयनाय ।

1 जनवरी 1960 , जमालपुर

समाप्त

**********X**********

घोषणा

लिंग, जाति, पंथ, धर्ममत, अमीर , गरीब आदि को विचार किए बिना सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक साधना सीखने , अभ्यास करने और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने का समान अधिकार है। अध्यात्मिक साधना विज्ञान को 'योग' भी

कहा जाता है। योग के ज्ञान का कभी भी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका वितरण नि:शुल्क होना चाहिए। यह साधना कोई भी आदमी "आनंद मार्ग प्रचारक संघ" के सन्यासियों और सन्यासिनीयों से किसी भी समय, नि:शुल्क सीख सकता है।

मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परम शांति या आनंद का अनुभव करना है। केवल ईश्वर प्राप्ति के द्वारा ही आनंद प्राप्ति कर सकता है। योग साधना से ही ईश्वर प्राप्ति संभव है; और कोई रास्ता नहीं है।